

प्रश्न सं. [क. 2827]

17/3/2023

प्रपत्र-अ

विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2827

द्वारा माननीय विधायक डॉ. सतीष सिकरवार

राज्य में 17/3/2023

सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में 660 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक-3 की टरबाइन ब्लेड टूटने हेतु 12 अधिकारियों को जांच उपरांत दोषी पाया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

सं. क्र.	अधिकारी का नाम सर्व श्री/सुश्री...	पद	कार्यवाही का विवरण
1	बी.के.चौहान	अति.मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त)	एकमुश्त राशि रु.2,50,000/- वसूल किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई।
2	आर.के.खेमरिया	अति.मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त)	एकमुश्त राशि रु.2,50,000/- वसूल किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई।
3	ए.के.एस.राठौर	अति.मुख्य अभियंता	एकमुश्त राशि रु.2,50,000/- वसूल किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई।
4	आर.एस.तम्हाने	कार्यपालन अभियंता (सेवानिवृत्त)	एकमुश्त राशि रु.2,50,000/- वसूल किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई।
5	एस.के.श्रीवास्तव	मुख्य रसायनज्ञ (सेवानिवृत्त)	एकमुश्त राशि रु.2,50,000/- वसूल किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई।
6	मनीष नंदनवार	कार्यपालन अभियंता	आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
7	ए.एस.देवडे	कार्यपालन अभियंता	आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
8	अनरीश कुमार	कार्यपालन अभियंता	आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
9	आर.एस.अलावा	वरिष्ठ मुख्य रसायनज्ञ	आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
10	आर.के.पाहुरकर	मुख्य रसायनज्ञ	आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
11	सोनाली सूर्यवंशी	वरिष्ठ रसायनज्ञ	आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
12	सरवर काजले	वरिष्ठ रसायनज्ञ	आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, म.प्र. शासन, भोपाल